

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रबन्धक

SHIKSHANKUR EDUCATION SOCIETY

OLD KHASRA NO-432, 435, 436 (NEW KHASRA NO-443, 437)

MUSKAN, MAUZA-MAJRA, PARGANA-CENTERAL DOON

जनपद—देहरादून।

सन्दर्भ:—

अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

आपके प्रार्थना पत्र यूआईडी नं०-48416657 दिनांक 29.09.2023 के द्वारा SHIKSHANKUR EDUCATION SOCIETY, OLD KHASRA NO-432, 435, 436 (NEW KHASRA NO-443, 437) MUSKAN, MAUZA-MAJRA, PARGANA-CENTERAL DOON, जनपद देहरादून की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी देहरादून की निरीक्षण आख्या दिनांक 10.10.2023 के अनुसार स्थापित अग्निशमन यंत्र कार्यशील दशा में है। उपकरणों का निर्धारित परीक्षण शुल्क राजकोष में जमा करा दिया गया है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। विद्यालय भवन के विस्तार/अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तो अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नये सिरे से लिया जाना अनिवार्य है, साथ ही अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान को प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व-घोषणा पत्र/Self Audit Report इस कार्यालय को ऑन लाईन/ऑफ लाईन माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

अतः SHIKSHANKUR EDUCATION SOCIETY, OLD KHASRA NO-432, 435, 436 (NEW KHASRA NO-443, 437) MUSKAN, MAUZA-MAJRA, PARGANA-CENTERAL DOON, जनपद देहरादून को अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र 03 वर्ष हेतु दिनांक 12 अक्टूबर 2023 से 11 अक्टूबर 2026 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होगा:—

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैट बैंक तथा सीढ़ियों सदैव अवरोध मुक्त रखी जाए।
2. आपके शैक्षणिक भवन के सभी कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को उपलब्ध अग्निशमन यंत्रों के संचालन तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
3. सभी अग्निशमन यंत्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/प्रबन्धक की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यंत्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रधानाचार्य/प्रबन्धक को अग्नि रोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. शैक्षणिक भवन में विद्युत यंत्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैंक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. शैक्षणिक भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानको के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
6. शैक्षणिक भवन में संचालित लैब (कैमेस्ट्री, कम्प्यूटर आदि) में सीओ2 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
7. शैक्षणिक भवन के विद्युत पैनल के पास सीओ2 फायर एक्सटिंग्यूशर का प्राविधान किया जाना आवश्यक है।
8. विद्युत स्विच बोर्ड/विद्युत पैनल के आस-पास किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भण्डारण नहीं किया जाएगा, भण्डारण किये जाने पर यह स्वामी/प्रबन्धक की लापरवाही मानी जाएगी तथा भविष्य में अग्नि दुर्घटना घटित होने पर बीमा दावे हेतु संस्तुति नहीं की जाएगी।

(वी० बी० दादव)
12/10/23
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

1	यू0आई0डी0 नम्बर	48416657
2	पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने वाले अधिकारी का नाम	-
3	पूर्व ईकाई/संस्थान/भवन का नाम व पता	SHIKSHANKUR EDUCATION SOCIETY OLD KHASRA NO. 432, 435, 436, NEW KHASRA NO. 443, 437, MUSKAN, MAUZA MAJRA PARGANA CENTRAL DOON, DEHRADUN (UK)
4	ईकाई/संस्थान/भवन का स्थापना वर्ष	2017-18
5	अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार	Annual Clearance
6	आवेदन की तिथि	29/09/2023
7	निरीक्षण की तिथि	08.10.2023
8	निरीक्षण आख्या भेजने की तिथि	10.10.2023
9	स्वामी/प्रबन्धक का नाम	MR. AJAY BHATT
10	स्वामी/प्रबन्धक का ईमेल आई डी	nocoffice2007@gmail.com
11	स्वामी/प्रबन्धक का मोबाईल नम्बर	9897574653
12	प्लॉट एरिया वर्ग मीटर	8560
13	कवर्ड एरिया वर्ग मीटर में	5195
14	भवन की श्रेणी	स्कूल
15	भवन का सैट बैक	अग्र- 12 पृष्ठ- 6 साईड(1) 6 साईड(2) 6
16	ब्लॉकों की संख्या	1
17	ईकाई /संस्थान/भवन की ऊंचाई मीटर में	12
18	ईकाई /संस्थान/भवन में तलों की संख्या	4 (भूतल प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, तल में निर्मित है।)
19	प्रत्येक तल का कवर्ड एरिया	1258
20	प्रत्येक तल पर कक्षाओं की संख्या	8 (कुल 32)
21	बेसमेन्ट कवर्ड एरिया	1061
22	ईकाई /संस्थान/भवन तक पहुंच मार्ग की स्थिति	हाँ
23	मुख्य मार्ग की चौड़ाई मीटर में	12
24	प्रवेश द्वार की चौड़ाई मीटर में	6
25	आन्तरिक मार्ग की चौड़ाई मीटर में	6
26	मुख्य मार्ग से भवन तक की दूरी मीटर	300
27	निकास हेतु जीनो की संख्या	2
28	जीनो की चौड़ाई मीटर	1.5
29	कारीडोर की चौड़ाई मीटर में	2
30	दरवाजो की संख्या	16 (कुल 64)
31	दरवाजो की चौड़ाई मीटर में	1
32	रैम्प की चौड़ाई मीटर में	-
33	फायर एक्सटिंग्यूशर की संख्या व प्रकार	24 ए0बी0सी0/सी0ओ0टू0
34	हौजरील की कुल सं0(प्रत्येक तल पर)	प्रत्येक तल 1 (4) ✓
35	डाउनकमर	-
36	राईजिंग मैन	हाँ
37	यार्ड हाईड्रेन्ट	01 ✓
38	संवेदनशील भण्डारण स्थलो पर स्प्रिंकलर्स सिस्टम	हाँ बेसमेन्ट में ✓
39	मैनुवली आपरेटेड फायर अलार्म	हाँ (प्रत्येक तल पर)

40	ऑटोमैटिक ऑपरेटेड फायर अलार्म	-
41	भूमिगत पानी टैंक की क्षमता लीटर में	25000
42	टैरिस टैंक की क्षमता	10000
43	मेन फायर पम्प का प्रवाह	900
44	डीजल पम्प की क्षमता व प्रवाह	-
45	जॉकी पम्प की क्षमता व प्रवाह	-
46	टैरिस फायर पम्प की क्षमता व प्रवाह	450
47	पम्प स्वचालित है या मैनुवल	मैनुवल
48	वाटर टैंक भरने हेतु स्थापित पम्प की कैटैगरी/पम्प की क्षमता व प्रवाह	समरसेबिल
49	बोरिंग की परिधि	-
50	वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था	हाँ
51	ईकाई में उत्पादन	-
52	हैजार्ड की श्रेणी	-
53	यदि संस्थान में ज्वलनशील/खतरनाक रसायनों का भण्डारण किया जाता है तो विवरण व सुरक्षा प्राविधान	-
55	भवन का मानचित्र कम्पाउण्डिंग/ओटीएस में स्वीकृत है या नहीं	-

महोदय- वर्तमान समय में संस्थान में स्थापित अग्निशमन उपकरण कार्यशील दशा में है। अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निरीक्षण आँख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

(Signature)
10/10/23
अग्निशमन अधिकारी
देहरादून